

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

बनाम
 प्रार्थना पत्र नं. 29 सन् 2011

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई।
 जज बर्क कोर्ट/कोर्टलेस है। पत्रावली
 सचिव अदालत में दिनांक 12-9-14
 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई।
 जज बर्क कोर्ट/कोर्टलेस है। पत्रावली
 सचिव अदालत में दिनांक 21-11-14
 को पेश हो।

21-11-14
 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अप्रिक्तता की घोषणा लजाए
 उक्त विपक्षी सं. 1 के सम्मत बाद तामील शामिल करवाए
 है। विपक्षी सं. 1 शीमरी सायर को भीग बाट आवाजे लडावाई
 गई, उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं आया। सिधार्क
 विपक्षी सं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश
 प्रसारित किये जाते हैं। विपक्षी सं. 2 व 3 के सम्मत पूरा
 बोलक नहीं आये हैं। अतः प्रार्थी विपक्षी सं. 2 व 3 के
 सम्मत नो बिल पूरा पेश करें। तामील जारी हो। पत्रावली
 देनबने तामील 9-1-15 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। डॉक्टर हस्ताक्षर पर है। P.O. सा. युनात कार्य में व्यस्त है।
 पत्रावली दिनांक 24-11-15 को पेश हो।

24-11-15
 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वातजूर सूचना के
 अनुपस्थित। प्रकरण का मेरिट पर परीक्षण किया गया।
 उक्त विपक्षी सं. के आधार पर सचिव को वातजूर
 कारवाही घोषित करने व पुनः सं. 1 के विरुद्ध स्थाई

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

न
अ
हु

निषेधाज्ञा का वाद तथा अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्य
छा-पत्र लेकर आयी है विपक्षी सं.। के विरुद्ध प्रकृषि
कार्यकर्मी के आदेश है। परकारान में सदाभारत विषय
छात्र प्रार्थना के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला लेने
प्रमाणित पाया जाता है। स्थिति छा-का मौजूदा
छा-पत्र वाकत T-I- विरुद्ध विपक्षी सं.। मूल वाद के
निस्तारक तक स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थना का मौजूदा छा-पत्र वाकत T-I-
विरुद्ध विपक्षी सं.। स्वीकार की जाकर मूल वाद के
निस्तारक तक उक्त प्रकृषि में जारी अन्तरिम आस्थाई
निषेधाज्ञा की दिनांक 9-9-2012 को अन्तर्गमन किया जाता है।
पत्रावली नैबल शुमार लेकर मूल वाद सं. 200/201
के साथ नटथी रहे।

(नन्द सिंह राजौरा)
उपस्थित अधिकारी बनेड़ा
जिला भोलवाड़ा (राज.)